न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 17/2021 तारीख रजू:– 17.06.2021

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनूपसिंह

R.A.S.

ओमी पुत्र रामजीत जाति जाटव निवासी अटकोली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————————— अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत पाली, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली
3. गोपी पुत्र फूंसिया जाति जाटव निवासी अटकोली तहसील हिण्डौन जिला करौली ————————————————————रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 102 दिं005.09.2002

सरपंच ग्राम पंचायत पाली पं0स0हिण्डौन

उपस्थित:– 1.श्री शान्तिलाल करसौलिया एडवोकेट अपीलान्ट

निर्णय दिनांक :–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस पेश कर अपील के मद नं01 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट एवं नोनअपीलान्ट सं03 ने दिनांक 27.07.2002 को कृषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 205 रकबा 0.43 है0 ग्राम चुराली तहसील हिण्डौन जिला करौली में रामकुमार पुत्र विशन्या जाति जाटव निवासी चुरारी से जरिये रजिस्टर्ड [illegible] खरीद किया था उसी दिन उप पंजीयक हिण्डौन द्वारा उक्त विक्रय पत्र [illegible] किया था। जिसमें अपीलान्ट ने उक्त भूमि का 3/5 हिस्सा व नोनअपीलान्ट सं03 ने 2/3 हिस्सा खरीद कर विक्रीत राशि विक्रेता को अदाकर मौके पर हिस्सेनुसार कब्जा संभला दिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि दिनांक 27.02.2002 के पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट के साथ नामान्तकरण सं0 102 दिनांक 05.09.2002 सरपंच ग्राम पंचायत पाली पंचायत समिति हिण्डौन ने उक्त नामान्तकरण पंजीकृत विक्रय पत्र के हिस्सेनुसार नहीं तस्दीक किया ना ही उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट व नोन अपीलान्ट का हिस्सा का उल्लेख किया था और उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट का हिस्सा 3/5 व नोन अपीलान्ट का हिस्सा 2/5 के स्थान पर 1/2, 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया, जिसका अपीलान्ट को कोई मालूम नहीं हुआ और पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2002 के हिस्सेनुसार ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं।

अपील के मद नं03 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट अपनी खातेदारी की भूमि के राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस लेने दिनांक 09.06.2021 को तहसील सूरौठ पर गया जहॉ से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी का 3/5 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्से की खातेदारी का मालूम हुआ तब अपीलान्ट ने अपनी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नामान्तकरण सं0102 दिनांक 05.09.2002 की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने का निवेदन किया तो तहसीलदार सूरौठ ने राजस्व रिकार्ड में उक्त इन्द्राज करने से साफ मना कर दिया इसलिए अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

अपील के मद नं04 में दर्ज किया है कि अपील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.06.2021 को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने से मालूम हुआ है इसलिए अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 05.0[illegible] [illegible] किया जाकर पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार अप[illegible] 3/5 [illegible] हिस्सा [illegible] नोनअपीलान्ट का 2/5 हिस्सानुसार नामान्तकरण तस्[illegible] किये जाने के आ[illegible] फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:47 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो[illegible] को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 14.07.2021 को रेस्पोडेन्टस सं01 ता 3 बाबजूद तामील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 102 फैंसल दिनांक 05.09.2002, नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 , फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2002 उनवानी रामकुमार पुत्र विशन्या जाति चमार निवासी चुराली तहसील हिण्डौन बहक ओमी पत्र रामजीत जाति जाटव हिस्सा 3/5, गोपी पुत्र फूसीया जाति जाटव हि0 2/5 निवासी अटकोली तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश किये हैं।

वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल नामान्तकरण सं0 102 फैंसल दिनांक 05.09.2002 विवादित आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 0.43 है0 ग्राम चुराली तहसील हिण्डौन जिला करौली का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार रामकुमार पुत्र विशन्या जाति चमार सा0देह खातेदार के स्थान पर ओमी पुत्र रामजीत व गोपी पुत्र फूंसीया जाति जाटव निवासी अटकोली खातेदार के नाम भरा गया है जिसे सरपंच ग्राम पंचायत कर तस्दीक किया गया है। गिरदावर हल्का ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अंकित किया है कि जॉच की गई मुताविक विक्रय पत्र के अनुसार अंकन सही है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 205 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम चुराली तहसील सूरौठ की खातेदारी ओमी पुत्र रामजीत हि01/2, गोपी पुत्र फूंसीया हि01/2 जाति [illegible] अटकोली तहसील हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड वि[illegible]2002 उनवानी रामकुमार पुत्र विशन्या जाति चमार निवासी चुराली तहसील [illegible]डौन बहक ओमी पत्र रामजीत जाति जाटव हिस्सा 3/5, गोपी पुत्र फूसीया जाति जाटव हि0 2/5 निवासी अटकोली तहसील हिण्डौन जिला करौली के हक में विवादित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नम्बर 205 रकबा रकबा 0.43 है0 ग्राम चुराली का विक्रय किया गया है तथा कब्जा वाकई मौके पर संभलाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण सं0 102 ग्राम चुराली को पटवारी हल्का द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर गलत रूप से भरा गया है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी गलत रूप से टिप्पणी की गई है तथा सरपंच ग्राम पंचायत पाली ने बिना जॉच पडताल किये एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन किये बिना ही नामान्तकरण दिनांक 05.09. 2002 को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 102 निरस्त योग्य है तथा पुनः नामान्तकरण भरने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 102 फैंसल दिनांक 05.09.2002 ग्राम चुराली तहसील सूरौठ निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2002 उनवानी रामकुमार बहक ओमी वगैराह का नियमानुसार पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......4-3-2022...... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:47 IST
Reason: SelfAttested